भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1080
दिनांक 22 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता

1080. श्री हाजी फजलुर रहमानः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में गर्भवती महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए कोई योजना आरंभ की है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या गर्भावस्था के दौरान अथवा गर्भपात के बाद गर्भवती महिलाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : जी हां, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू व एलएम) के लिए दिनांक 01.01.2017 से केंद्रीय प्रायोजित स्कीम ''प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत, किसी व्यक्ति द्वारा कुछ विशेष शर्तें पूरी करने पर गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यू व एलएम) के बैंक/डाक खाने के खाते में डीबीटी रूप से 5000/- रूपये का नकद प्रोत्साहन सीधे ही भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त, पात्र लाभार्थी को संस्थागत प्रसव के पश्चात जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के अंतर्गत मातृत्व लाभ के लिए अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है । ताकि प्रत्येक महिला को औसतन 6000/- रूपये प्राप्त हो सके।

मंत्रालय द्वारा महिलाओं को सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के एकीकृत लाभ प्रदान करने के लिए मिशन शक्ति की शुरूआत की गई है। मिशन शक्ति के अंतर्गत नवीकृत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अंतर्गत दूसरे बच्चे के लिए 6000/- रूपये का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाना होता है बशर्ते कि दूसरा बच्चा लडकी हो, ताकि जन्म से पहले लिंग चयन को हतोत्साहित किया जा सके और लडकी के जन्म को प्रोत्साहित किया जा सके। पुराने दिशानिर्देशों के अनुसार, लाभार्थी द्वारा सहन किए गए गर्भपात/समय पूर्व जन्म के मामले में, उन्हें केवल आंशिक लाभ ही प्राप्त हुए थे क्योंकि वे प्रसव के बाद तीसरी किश्त के लिए पात्र नहीं थी। इन मामलों में लाभार्थी अगली गर्भावस्था के दौरान लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं थे। मिशन शक्ति ने नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत, पहली गर्भावस्था में होने वाले गर्भपात/समय से पूर्व जन्म के मामलों में, लाभार्थी को दूसरी

गर्भावस्था में नए मामले के रूप में माना जाएगा और वे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ हेतु पात्र होगी।

*****